कार्यालय पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

संख्या–~~35~~ जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली दिनांक –15.2.2020

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक
दैनिक हिन्दुस्तान
18–20 कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली– 110001

विषयः– **पुलिस पर बेइज्जती करने का आरोप लगा युवक ने जान दी।**

कृपया, दिनांक 15 फरवरी, 2020 को आपके समाचार पत्र में उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत छपी खबर का अवलोकन करें। खबर का शीर्षक पूर्णतया गलत है जो अनावश्यक रूप से पुलिस की छवि को धूमिल करता है, जिसका दिल्ली पुलिस खंडन करती हैं।

जैसा कि खबर में उल्लेख किया गया है कि रविवार की शाम पीली कोठी झुग्गी निवासी सूरज नामक युवक को पुलिस बाइक पर बैठाकर थाने लाई और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद सूरज ने घर आकर खुदकशी कर ली। सूरज के परिजनों ने सूरज की आत्महत्या करने का आरोप पुलिस पर लगाया।

जबकि वास्तविकता यह है कि थाना मायापुरी पुलिस ने फोन झपटमारी की वारदात में संलिप्त एक आरोपी अभिशेख उर्फ टाइगर को पकड़ा था। आरोपी से बरामद फोन पर अक्सर सूरज की बात होती थी, इसीलिए पुलिस द्वारा पकड़े गये अभिशेख की शिनाख्त के लिए सूरज को बुलाया गया था और थाना परिसर के बाहर ही आरोपी की शिनाख्त के बाद लगभग 3.40 शाम उसे घर भेज दिया गया था। सूरज को थाना परिसर के अंदर तक नहीं बुलाया गया था। शाम के समय सूरज द्वारा आत्महत्या करने का दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया। आत्महत्या से पूर्व बनाए गए अपने वीडियो में सूरज ने कहीं भी पुलिस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। बल्कि स्वयं को मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) का रोगी बताते हुए कहा है कि उसके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है तथा उसकी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नही हैं। सूरज की आत्महत्या से संबंधित अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस तहकीकात कर रही है।

खबर में उल्लेखित तथ्यों से पाठकों के बीच ऐसा संदेश जा रहा है कि सूरज ने पुलिस की प्रत्याड़ना से ही परेशान होकर ही आत्महत्या की है। जबकि पुलिस का सूरज की आत्महत्या से कोई संबंध नहीं हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस पर प्रत्याड़ित करने का आरोप लगाना पूर्णतया निराधार और सत्य से परे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस स्पष्टीकरण को उचित स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ताकि आपके पाठकों को सही जानकारी मिल सके।
भवदीय

(चिन्मय विश्वाल) भा.पु.से
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस, दिल्ली